

सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त अजमी पुत्र नईम अहमद निवासी मोहल्ला हकीमपुरा कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 232/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना किरतपुर:- थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभि0 शहजाद उर्फ बोबला पुत्र जहीर निवासी मौ0 मलकान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो कारतूस जिन्दा 315 बोर व अभि0 नईम उर्फ दन्तू पुत्र शफीक निवासी मौ0 शीशग्रान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो कारतूस जिन्दा 315 बोर के गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 106/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 बनाम शहजाद उर्फ बोबला उपरोक्त व मु0अ0सं0 107/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 बनाम नईम उर्फ दन्तू उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त रागीब पुत्र शफीक अहमद निवासी मोहल्ला हकीमपुरा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना मंडावली:- थाना मंडावली पुलिस द्वारा अभियुक्त हर्ष उर्फ लककी पुत्र नीरज कुमार निवासी ग्राम रामनगर थाना मंडावली जनपद बिजनौर को एक नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । जिस संबंध में मु0अ0सं0 74/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त योगेंद्र उर्फ पप्पू पुत्र सुधीर निवासी ग्राम चंदवक थाना नांगल जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा सहित गिरफ्तार किया गया । जिस संबंध में मु0अ0सं0 73/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त रियाज पुत्र जावेद निवासी ग्राम सबलपुर भीतरा थाना मंडावली जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा सहित गिरफ्तार किया गया । जिस संबंध में मु0अ0सं0 75/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।



**थाना नहतौर पुलिस द्वारा पेट्रोल पम्प पर फायरिंग करने वाले 02 अभि0गण 01 अवैध तमन्च
01 चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार।**

दिनांक 23.04.2021 को थाना नहतौर क्षेत्रान्तर्गत झालू चौराहे के पास पेट्रोल पम्प पर दो पक्षों के 10-12 व्यक्तियों द्वारा आपसी कहासुनी के दौरान उन्ही में से एक व्यक्ति द्वारा हवाई फायरिंग की गयी। इस सम्बन्ध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 147/148/149/307/336/188/269/270 भादवि0 व 7 कि0लां0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुये तत्काल नहतौर पुलिस को घटना में संलिप्त अभि0गण की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। थाना नहतौर पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की पहचान कराकर अभि0गण 1-शिवम, 2-निखिल को एक तमन्चा 01 तमन्चा व 01 चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी में पहचान किये अन्य अभि0गण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभि0गण का नाम व पता:-

- 1- शिवम पुत्र देशराज निवासी हीरापुर माली थाना को0देहात जनपद बिजनौर।
- 2-निखिल पुत्र लोकेन्द्र निवासी हीरापुर माली थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

बरामदगी:-

- 1- 01 अवैध तमन्चा 315 बोर (अभि0 शिवम के कब्जे से)
- 2- 01 नाजायज चाकू (अभि0 निखिल के कब्जे से)

